

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 26.07.2023

प्रकरण संख्या - 121/2023 (2023/295)  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

(राज.) नौजी पत्नि स्व0 लेला अहीर

2. बंशीलाल पुत्र लेला अहीर

3. भैरूलाल पुत्र लेला अहीर

4. रतनलाल पुत्र लेला अहीर

सर्व निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

-प्रार्थीगण

बनाम

1. देवी सिंह पिता मोती सिंह राव निवासी भूणास तहसील सहाडा

2. मीरा देवी पत्नि मुकेंद्र सिंह राजपूत निवासी कारोई तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

3. श्यामू देवी पत्नि रतनलाल अहीर

4. भैरूदास दत्तक पुत्र छोगादास बैरागी

5. सत्यनारायण पुत्र छोगादास बैरागी

6. गणेशदास पुत्र छोगादास बैरागी

7. नन्दलाल पुत्र रामलाल अहीर

8. नारायण लाल पुत्र राम लाल अहीर

9. पुष्पा देवी पत्नि भैरू लाल अहीर

10. नंगजी पुत्र मेघा रेगर

11. चुना पुत्र मेघा रेगर

12. रतन पुत्र नारायण रेगर

13. घीसू पुत्र नारायण रेगर

14. सुगना पत्नि नारायण रेगर

15. मांगी पत्नि परथू अहीर

16. उदयराम पुत्र परथू अहीर

17. शंकर पुत्र नानू अहीर

18. शंकर पुत्र माना अहीर

19. गोपाल पुत्र माना अहीर

सर्व निवासी भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

उपस्थिति-

अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री मनीष दाधीच

विपक्षीगण संख्या:- 1, 3 लगायत 19 अनुपस्थित

विपक्षी संख्या 02:- के विरुद्ध दाद नही चाही गई।

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-17.05.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम भूणास पटवार हल्का भूणास तहसील सहाडा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2896/3175 रकबा 0.12 हे0, 2907 रकबा 0.99 हे0, 2910 रकबा 0.67 हे0, 2912 रकबा 0.50 हे0 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 2.28 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 369 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1, 3 लगायत 19 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भूणास पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2896/3175 रकबा 0.12 हे0, 2907 रकबा 0.99 हे0, 2910 रकबा 0.67 हे0, 2912 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.28 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 369 पर दर्ज होकर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाराजोही करें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 750/- (सात सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 750/- (सात सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)

उपरखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर पदेन  
गंगापुर (भीलवाड़ा) 2.  
उपरखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा